एफ. सं. 1-13/2016-पीएन-I

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

(नीति मानदंड-I अनुभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक 7 दिसम्बर, 2016

विषयः केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) की दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 को आयोजित 64वीं बैठक की कार्यवाही का रिकार्ड।

माननीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 को आयोजित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) की 64वीं बैठक की कार्यवाही का रिकार्ड सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

2. कृपया सीएबीई की उक्त 64वीं बैठक की कार्यवाही के रिकार्ड के संबंध में अपने ब्यूरो से संबंधित मदों पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट (एटीएन) प्रस्तुत करें। की गई कार्यवाही (एटीएन) की सॉफ्ट कॉपी psaxena017@gmail.com पर भी ई-मेल करें।

(पद्मजा सक्सेना)

उप सचिव, भारत सरकार

संलग्नः यथोक्त

1. उच्चतर शिक्षा विभाग तथा स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सभी ब्यूरो प्रमुख (संलग्न सूची के अनुसार)

प्रति अनुलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. एचआरएम के निजी सचिव/एमओएस (एमएनपी) के निजी सचिव/एमओएस (यूके) के निजी सचिव।
2. सचिव (एचई) के पीएसओ।
3. उच्चतर शिक्षा विभाग तथा स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सभी प्रभागीय प्रमुख।
4. भारत सरकार के प्रतिनिधि [केन्द्रीय मंत्री/ सदस्य (शिक्षा) नीति आयोग] के निजी सचिव।
5. सभी राज्यों/संघ राज्य प्रशासन के शिक्षा मंत्रियों के निजी सचिव।
6. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिव/ सचिव (शिक्षा)
7. वेब मास्टर,सीएमआईएस (मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए) सीएबीई की 64 बैठक गार्ड फाइल।

25 अक्टूबर, 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) की 64वीं बैठक में की गई चर्चा का सार

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) की 64वीं बैठक श्री प्रकाश जावड़ेकर, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में 25 अक्टूबर, 2016 को आयोजित की गई थी। बैठक में श्री राजीव प्रताप रुडी, कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री विजय गोयल, युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय और श्री उपेंद्र कुशवाहा, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, श्री अमिताभ कांत, सीईओ नीति आयोग, श्री वी.एस. ऑबरॉय, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, 21 राज्यों के शिक्षा मंत्री, 28 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, सीएबीई के सदस्य, स्वायत्त संगठनों के प्रमुख तथा विश्वविद्यालयों के कुलपति और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

2. **श्री विनय शील ऑबरॉय, सचिव, उच्चतर शिक्षा (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)** ने सभी प्रतिभागियों का अभिनंदन किया और उन्हें 19 अगस्त, 2015 को हुई सीएबीई की 63वीं बैठक में मुख्य सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि नीति बनाने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन दोनों में राज्यों की केन्द्रीयता की पहचान करने के लिए सीएबीई की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं क्योंकि यह एक संयुक्त निकाय है और साथ ही शिक्षा के संबंध में सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। उन्होंने बैठक में विचारार्थ एजेंडा मदों के बारे में संक्षेप में बताया। तत्पश्चात्, उन्होंने माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से कार्यक्रम आरंभ करने का अनुरोध किया।

3. **श्री प्रकाश जावड़ेकर, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री** ने सभी केंद्रीय मंत्रियों, राज्य शिक्षा मंत्रियों एंव सचिवों, सीएबीई सदस्यों और अन्य प्रख्यात उच्च पदाधिकारियों एवं अधिकारियों का अभिनंदन किया । उन्होंने इस संबंध में अपने विचार साझा किए कि अंग्रेजों का उद्देश्य लोगों को साक्षर बनाना नहीं था बल्कि वे केवल अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजी शिक्षित कार्यदल निर्मित करना चाहते थे, जबकि ज्योतिराव फुले, गोपालकृष्ण गोखले, बाबा साहेब अम्बेडकर और अबुल कलाम आजाद जैसे दिग्गज नेताओं के पास भारत में शैक्षिक संस्थाएं शुरू करने की वास्तविक विरासत थी। भारत अपने व्यापार के लिए जाना जाता था और नालंदा तथा तक्षशिला जैसे महा-विश्वविद्यालयों ने हमें पूरे विश्व में सुप्रसिद्ध बना दिया है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जिन देशों में सर्वोत्तम शोध एवं नवाचार विश्वविद्यालय हैं, वे देश हमेशा समृद्ध होंगे। किसी भी देश का विकास पूरी तरह से शिक्षा पर निर्भर करता है। उन्होंने बताया कि हमने 98 प्रतिशत नामांकन अनुपात हासिल कर लिया है और लगभग प्रत्येक बच्चा स्कूल में दाखिल है, परन्तु अब हमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करनेपर ध्यान केंद्रित करना होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री ने सभी शिक्षा मंत्रियों और सदन के अन्य सदस्यों से सक्रिय रूप से भाग लेने और उनके विचार तथा सर्वोत्तम कार्य साझा करने का अनुरोध किया। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी और श्री विजय गोयल से बैठक को सम्बोधित करने का अनुरोध किया।

4. **श्री राजीव प्रताप रूडी, कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)** ने कौशल शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को कौशल शिक्षा पर फोकस करने के लिए बधाई दी। किन्तु वास्तविक चुनौती यह है कि आगामी डेढ़ साल में शिक्षा से कौशल को वास्तव में

कैसे जोड़ा जाए। वर्तमान में लोगों को कौशल प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसंरचना की कमी है और इसलिए उपलब्ध शैक्षिक अवसरंचना का उपयोग करने की आवश्यकता है, जिससे दोनों मंत्रालयों के बीच सुदृढ़ समन्वय स्थापित होगा। मंत्रालय ने राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) पर आधारित कौशल कार्यक्रम पहले ही शुरू कर दिए थे और सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्कूलों तथा संस्थाओं की मौजूदा अवसंरचना और केन्द्रीय विद्यालयों की प्रयोगशालाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने सभी राज्य शिक्षा मंत्रियों से आगे आने और इस पहल में मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने का अनुरोध किया। इस देश की सबसे बड़ी चुनौती लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है और इसके लिए दोनों मंत्रालयों को एक साथ मिलकर कार्य करना होगा।

5. **श्री विजय गोयल, युवा और खेल-कूद मामले मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)** ने कहा है कि खेल-कूद और क्रीडा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है और न केवल स्वस्थ और शारीरिक रूप से उपयुक्त जीवन के लिए बल्कि समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने यह उल्लेख किया कि देश में कुल विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में जाते हैं लेकिन अधिकांश विद्यार्थियों की बड़ी संख्या निजी स्कूलों में जाती है और इसलिए इन निजी स्कूलों और उनकी फीस को नियंत्रित करने की कड़ी आवश्यकता है। सरकारी स्कूलों की अवसंरचना का इष्टतम उपयोग किया जाना चाहिए चूंकि इस समय यह 2 बजे अपराह्न के पश्चात् प्राय: निष्क्रिय हो जाती है। उन्होंने कई मुद्दों को जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि पाठ्यचर्या में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना की शिक्षा देना, स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थियों की दर में वृद्धि करना, शिक्षण में प्रतिभा को आकर्षित करना, परीक्षाओं में अनुचित पद्धतियों, स्कूल अवसंरचना की कमी, प्रधानाचार्य और स्टाफ इत्यादि की कमी का उल्लेख किया। उन्होंने यह अनुभव किया कि मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में एक पृथक अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि खेल-कूद विषय को प्राथमिक स्तर से अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए और खेल के मैदान और खेल-कूल अवसंरचना की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि 40% स्कूलों के पास पर्याप्त खेल-कूल अवसंरचना नहीं है इसलिए उन्हें पड़ोसी स्कूलों के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए और सुझाव दिया कि प्रत्येक कक्षा के लिए दो पीटी (शारीरिक अध्यापा) होने चाहिए। खेल-कूल और शिक्षा के बीच कारगर तालिका को बनाने के लिए पृथक निर्देश अपेक्षित हैं।

6. **श्री अमिताभ कांत, सीईओ नीति आयोग** ने स्कूलों में विशेष रूप से लड़कियों के लिए शौचालय तक 100 प्रतिशत पहुंच उपलब्ध कराने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सराहना की। लेकिन अध्यापकों और शिक्षा की बिगड़ती हुई गुण्वत्ता के बारे में चिंता व्यक्त की है। उन्होंने घोषणा की कि नीति आयोग अपने उत्कृष्ट कार्यों को शेयर करने और इन उत्कृष्ट पद्धतियों को अपनाने में राज्यों की सहायता करने के लिए राज्यों के लिए संयुक्त रूप से एक कार्यशाला करेगा।

7. **श्री विनयशील ओबराय, सचिव (उच्चतर शिक्षा और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सदस्य-सचिव, केब** ने 63वीं केब बैठक के कार्यवृत्त की अभिपुष्टि के साथ ही कार्यसूची मदों पर विचार-विमर्श शुरू किया। उन्होंने श्रीमती रीना रे, अपर सचिव (स्कूल शिक्षा) को कार्यसूची की प्रथम मद पर प्रस्तुतीकरण पेश करने के लिए आमंत्रित किया।

8. **श्रीमती रीना रे, अपर सचिव (स्कूल शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय** ने सभी महत्वपूर्ण विषयों जैसे कि अधिगम परिणामों में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों की कमी, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस), आनंदपूर्ण अधिगम, सरकारी स्कूल अध्यापकों के वेतन, प्राथमिक-पूर्व कक्षाओं और नो डिटेंश नीति को शामिल करते हुए एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण पेश किया । (अनुबंध - II) नो डिटेंशन नीति के मद्दे के संबंध में निम्नलिखित बिंदु शेयर किए गए थे :-

i. कक्षा V तक नो डिटेंशन नीति (अनुत्तीर्ण न करने) बनाई रखी जानी चाहिए।
ii. समुचित सरकार को यह अनुमति दी जानी चाहिए कि वह निर्णय ले सके कि क्या उच्च प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा VI, VII और VIII) में बच्चों को बनाए रखा जाना चाहिए या नहीं।
iii. यह सिफारिश की गई है कि विद्यार्थियों को बनाए रखे जाने (रिटेन) से पहले उन्हें एक अतिरिक्त अवसर दिया जाना चाहिए।
iv. ब्लॉक/तालुका/मंडल/तहसील स्तर पर शिक्षा अधिकारी डिटेन किए गए विद्यार्थियों का एक रिकॉर्ड रखेगा और आवश्यक उपचारी कार्रवाई के लिए स्कूल और अध्यापकों के ब्यौरों सहित उनकी प्रगति को मॉनीटर करेगा।

9. **मानव संसाधन विकास मंत्री** ने फिर विचार-विमर्श की मदों जो परिचालित कर दी गई हैं के संबंध में उनके मूल्यवान विचार अभिव्यक्त करने के लिए शिक्षा मंत्रियों को आमंत्रित करते हुए बैठक का संचालन किया।

10. **श्री दलजीत सिंह चीमा माननीय शिक्षा मंत्री, पंजाब** ने इसकी रिपोर्ट की प्रति परिचालित की और स्कूलों के समेकन करने का विचार किया। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में कम सरकारी स्कूलों की समस्या पर विशेष रूप से प्रकाश डाला और सरकार से इन क्षेत्रों में नई स्कूल नीति स्थापित करने के लिए कहा। उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि अध्यापक स्वयं सेवियों का एक पृथक संवर्ग बनाया जाना चाहिए। 'नो डिटेंशन नीति' की ध्यानपूर्वक समीक्षा की जानी चाहिए ताकि अध्यापकों की जवाबदेही निर्धारित की जा सके और उन्होंने कक्षा 5 और 8 पर राज्य स्तरीय परीक्षाएं कराने का सुझाव दिया। शिक्षा के लिए सरकारी वित्त-पोषण में वृद्धि (जीडीपी का 6%) और विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर बृहतर आबंटन किए जाने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक नया अध्यापक प्रशिक्षण विभाग बनाया जाना चाहिए। उन्होंने सभी स्कूलों के लिए प्रधान शिक्षक के प्रावधान पर बल दिया और इस बात पर बल दिया कि शिक्षक की भर्ती के लिए प्रत्येक राज्य में भर्ती कैलेण्डर बनाया जाए। मनरेगा जैसी योजनाओं को अवसंरचना निर्माण के उद्देश्यों के लिए जोड़ा जाना चाहिए और स्कूलों के आकलन और मूल्यांकन के लिए शाला सिद्धि जैसे कार्यक्रमों को सशक्त बनाया जाना चाहिए।

11. **प्रोफेसर सी.रविन्द्रनाथ, माननीय शिक्षा मंत्री, केरल** ने कहा कि शिक्षा और संस्थान परिसरों को धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक बनाए रखा जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि किसी भी नई नीति को निजीकरण और केन्द्रीयकरण से बचना चाहिए। उन्होंने साझा किया कि राज्य ने शिक्षा को डिजीटल बनाना शुरू कर दिया है और यह भी कि शैक्षणिक परिसरों में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जा रहा है। राज्य ने एक बेहतर सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के लिए चार -आयामी शिक्षा को अपनाया है। नो डिटेंशन पालिसी के संबंध में, उन्होंने महसूस किया कि यदि हम विद्यार्थियों को कक्षा में रोकते हैं तो शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि नहीं कर सकते इसलिए विद्यार्थियों के आंकलन के लिए सतत एवं व्यापक

मूल्यांकन का कार्यान्वयन कारगार रूप से होना चाहिए। उन्होंने अठारह वर्ष की आयु तक नि:शुल्क सार्वजनिक शिक्षा का सुझाव दिया और सरकार से शिक्षा बजट को 6 प्रतिशत तक बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि राज्यों को निधियों के केन्द्रीय अंतरण को वांछनीय रूप से 50% तक किया जाना चाहिए।

12. **श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्य मंत्री एवं शिक्षा मंत्री, दिल्ली** ने सुझाव दिया कि सरकारी स्कूल हमारे देश के शैक्षणिक विकास के लिए अंतिम समाधान है। शिक्षकों और प्राचार्यों की अधिक से अधिक स्वायत्ता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाए जाने चाहिए। उनका राज्य शिक्षा के लिए कुल बजट का 25% आबंटन कर रहा है। आरटीई को देखते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के लिए 3 से 6 वर्षों के लिए एक रोड मैप बनाया जाना चाहिए और इसे कक्षा 10वीं तक बढ़ाया जाना चाहिए। गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए सुझाव मंगाने के लिए समुदाय आधारित चिंतन जैसे कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि शिक्षकों की खराब होती गुणवत्ता मुख्य रूप से बी.एड कालेजों के कुकुरमुत्तो की तरह शुरू होने के चलते है। शिक्षा तंत्र को शिक्षा के अलावा अन्य कार्यकलापों में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मत व्यक्त किया कि नो डिटेंशन पालिसी को अब से हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षा में एकीकृत करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप के लिए कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पुन: नाम रखकर शिक्षा मंत्रालय किया जाना चाहिए और साथ ही उन्होंने केब बैठकों की आवृत्ति और केब आदि में विचार-विमर्श किए जाने वाले मुद्दों में प्रभावशीलता बढ़ाने का सुझाव दिया।

13. **श्री मंत्री प्रसाद नैथानी, माननीय शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड** ने सुझाव दिया कि आरटीई पर पुन: विचार किया जाए और 'नो डिटेंशन पालिसी' पर पुन:विचार किया जाए। उन्होंने अपने विचार साझा किए कि उनका राज्य कक्षा 6 के स्तर पर बच्चे का आईक्यू स्तर जांचने के लिए उसका मस्तिष्क परीक्षण जैसे कार्य सर्वोत्तम रूप से करता है और इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाना चाहिए। कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए स्कूल समय के पश्चात् स्कूल अवसंरचना का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने देश भर में सभी स्कूलों मं योग शिक्षकों की नियुक्ति को अनिवार्य करने का अनुरोध किया। उन्नति प्रोजेक्ट जैसे कार्यक्रमों की अवधि केवल कुछ महिनों के स्थान पर 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा देनी चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि उनके राज्य की पहाड़ी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आरएमएसए के लिए वित्तपोषण को बढ़ाना चाहिए।

14. **श्री अशोक कुमार चौधरी, माननीय शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, बिहार** ने सुझाव दिया कि शिक्षा के लिए बजट को राष्ट्रीय और राज्य स्तर दोनों में बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने सूचित किया कि उनके राज्य ने स्कूलों के लिए कार्यक्रमों का मूल्यांकन पहले ही शुरू कर दिया है और वह 'नो डिटेंशन पालिसी' के विरुद्ध है। उन्होंने पीएबी द्वारा स्पष्ट राज्य बजट के लिए कहा और सुझाव दिया कि राज्यों से एनईपी के लिए सुझाव मंत्रालय द्वारा मसौदे को अंतिम रूप प्रदान किए जाने के पश्चात् ही मंगाए जाने चाहिए।

15. **श्री केदर कश्यप, माननीय शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़** ने ग्रामीण क्षेत्रों मं शिक्षकों की उपलब्धता का मुद्दा उठाया और सुझाव दिया कि शिक्षकों के लिए आवासीय मकान सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए।

उन्होंने सुझाव दिया कि पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किए जाने की जरूरत है और यह भी कि शिक्षा को मातृभाषा में प्रदान किया जाना चाहिए।

16. **श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, माननीय उच्चतर शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़** कहा कि राज्यों को निधियों का उपयोग करने के संबंध में स्वतन्त्रता होनी चाहिए तथा राज्यों को शक्तियां प्रदत की जाएं कि वे तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रमों और संस्थाओं के लिए क्लीयरेंस और अनुमोदन प्रदान कर सकें। एआईसीटीई गम्भीरता से राज्यों के मत प्राप्त करें और उन पर विचार करें। उन्होंने उल्लेख किया कि यूजीसी के दिशा-निर्देश प्राय: बदलते रहते हैं जिनके परिणाम-स्वरूप बहुत सी संशयात्मक स्थितियां तथा भ्रम पैदा होते हैं। उन्होंने कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया।

17. **श्री कादियम श्री हरि, माननीय उप-मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री, तेलंगाना** ने बालिकाओं की शिक्षा से सबंधित मुद्दा उठाया और अधिगम के शोचनीय परिणामों के कारणों को साझा किया। उन्होंने सुझाव दिया कि नीतियों में निजीकरण का परिहार किया जाए और यूएसए की भांति सामान्य शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फेल न किए जाने की नीति को समाज में शिक्षा के निम्न स्तर को देखते हुए जारी रखा जाए और इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार राज्यों को प्रदत्त किया जाए। नामांकन की दर बढ़ाने के लिए प्रवेश की आयु 04 वर्ष नियत की जाए और आंगनवाडियां प्राथमिक विद्यालयो में अवस्थित की जाएं। तेलंगाना में और अधिक रिहायशी स्कूलों का निर्माण किया गया है ताकि अधिकाधिक बालिकाओं को स्कूलों में प्रवेश लेने और पढ़ाई जारी रखने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने सुझाव दिया कि अध्यापक पशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ किया जाए। अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों को प्रोत्साहित किया जाए। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने अधिगम परिणामों के सुधार पर नोट के लिए अनुरोध किया।

18. **श्री प्रदीप कुमार पाणिग्राही, मंत्री उच्चतर शिक्षा ओडिशा** इन्होंने इच्छा व्यक्त की कि बजट आवंटन को सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत से अधिक बढ़ाया जाए। उनका राज्य 'अनुत्तीर्ण न किए जाने की नीति' के पक्ष में नहीं है। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की सिफारिश की। आरएमएसए और रूसा के दिशा-निदेशों को राज्यों की आवश्यकता के अनुसार लचीला बनाया जाए।

19. **डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा, माननीय उच्चतर, माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा, असम** ने पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का सुझाव दिया जिसमें छात्र पढ़ सकें और स्वदेश प्रेम विकसित कर सकें। ये 'अनुत्तीर्ण न करने की नीति' के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने माननीय एचआरएम को अध्यापकों की भर्ती के लिए व्यावसायिक शिक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने हेतु धन्यवाद दिया। एनएएसी की भांति माध्यमिक स्कूलों का प्रत्यायन अधिगम परिणामों के बेहतर आकलन में सहायक सिद्ध होगा। वे आरएमएसए/एसएसए के लिए निधियों की प्रतिबद्धता भी चाहते थे।

20. **श्री के पाण्डिराजन माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री, तमिलनाडु** ने शिक्षा के लिए 6% के आवंटन के मत पर प्रकाश डाला। उन्होंने सूचित किया कि उनके राज्य ने पहले से ही आंगनवाड़ी को स्कूलों के साथ समेकित करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है और इस कार्य के लिए उन्हें 500 करोड़ के अधिक निधियन की आवश्यकता है। उनका मत था कि स्कूलों का विलय तथा बहिष्कार का परिहार किया जाए। उन्होंने उल्लेख किया कि मांग आधारित बोर्ड परीक्षाएं संभव नहीं हैं और इससे असमानता बढ़ेगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कक्षा X के लिए दो स्तरीय परीक्षा से स्तरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने सीसीई को

मजबूत करने, अधिगम परिणामों पर केन्द्रित आवंटन करने, द्विभाषा नीति, (संस्कृत पर विशेष बल नहीं) और 8वीं कक्षा तक अनुत्तीर्ण करने, वंचित बच्चों के लिए वैकल्पिक स्कूलों के मत का विरोध, कौशल शिक्षा इत्यादि के लिए भी समावेशी शिक्षा का सुझाव दिया। वे एनएसक्यूएफ के समेकन के पक्ष में हैं परन्तु उन्होंने उल्लेख किया कि कौशल शिक्षा बोर्ड आधारित अधिगम शिक्षा और मुक्त विद्यालय का विकल्प नहीं हो सकती, बाल श्रम असंवैधानिक है और उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर पुन: ध्यान देने का सुझाव दिया। वे भारत में विदेशी विश्वविद्यालय के प्रवेश और उनके भारत में परिसर स्थापित करने के मत के समर्थन में नहीं थे। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि राज्यों के साथ सक्रिय परामर्श के उपरांत एनईपी का निरूपण किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि डोमेन विशिष्ट विश्वविद्यालयों का सृजन किया जाए और 100 कॉलेजों को विश्वविद्यालयों से संबद्ध करने की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया जाए। दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्राधिकार की स्थानीय क्षेत्र सीमा को समाप्त कर दिया जाए।

21. **श्री के.पी. अम्बालगन, माननीय उच्चतर शिक्षा मंत्री, तमिलनाडु** ने संतोष व्यक्त किया कि टीएसआर सुब्रहमणियम सिमति की अधिकांश सिफारिशें राज्यों की स्वायत्ता में शामिल कर ली गई हैं।

22. **डॉ. रतन कुमार, माननीय शिक्षा मंत्री, मणिपुर** ने इस बिन्दु पर बल दिया है कि नई शिक्षा नीति बनाते समय मणिपुर की भौगोलिक स्थिति और उग्रवाद की समस्या के कारण इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक बालिका आवासीय स्कूलों का निर्माण एक अच्छा कदम है लेकिन स्कूलों के प्रोन्नयन की भी जरूरत है। शिक्षकों की कमी के मामले पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि मणिपुर में शिक्षा में खेलों का एकीकरण पहले ही आरंभ कर दिया गया है। उन्होंने विद्यार्थी सक्रियता और वित्तीय संसाधनों की कमी की समस्या का उल्लेख किया।

23. **श्री दीपक जोशी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश** ने कहा कि राष्ट्रीय और देशभक्ति की भावना वर्तमान समय की जरूरत है और यह सुझाव दिया कि स्कूलों में जन गण मन (राष्ट्रीय गान) गाना और झंडा फहराना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे यह भी सुझाव दिया कि आगामी नीति में स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नायकों की गाथाओं के अध्याय शामिल किए जा सकते हैं। केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के नाम, ज्यादा सैनिक स्कूल खोले जाने चाहिए, आरटीई को 10वीं कक्षा तक बढ़ाया जाना चाहिए और नैतिकता और नीति-शास्त्र शिक्षा के माध्यम से पढ़ाए जाने चाहिए। उन्होंने सूचना दी कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों की उपस्थिति मोबाइल पर देखी जा सकती है।

24. **श्री बलराम यादव, माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश** ने केन्द्र सरकार से मौजूदा योजनाओं को जारी रखने के लिए सहायता और निधियां प्रदान करने की प्रतिबद्धता का अनुरोध किया है और अपने राज्य के उत्कृष्ट कार्यों जैसे विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान करना, केवी में सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति आदि साझा किए।

25. **श्री धीरेन्द्र नाथ बेज़बोरूहा** ने शिक्षा के निजीकरण, शिक्षा के माध्यम, बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चे, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षा का आवंटन सकल घरेलू उत्पाद का 6% होने से संबंधित मामलों को चिन्हित किया। उन्होंने सुझाव दिया कि अनुदेश का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए और स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। स्कूल बीच में छोड़ने वाले बच्चों के संबंध में कमजोर बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

26. **श्री आर. बी. सुब्बा, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, सिक्किम** ने सूचित किया कि राज्य ने एलकेजी, यूकेजी, आंगनवाड़ी, स्मार्ट कक्षाएं, पठन कक्ष, सक्रिय पीटीए (अभिभावक शिक्षक संघ) इत्यादि शुरू किए हैं और स्कूलों में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए अलग शौचालयों का निर्माण किया है। उन्होंने उल्लेख किया कि इग्नू द्वारा जारी किए गए कुछ दिशानिर्देश राज्य में शिक्षकों की बैकलॉग रिक्तियों को भरने के हित में नहीं है और अनुरोध किया कि एनसीटीई को प्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सुविचारित दृष्टि रखनी चाहिए उनका राज्य "नो डीटेंशन नीति" के विरोध में है।

27. **श्री यिताचु, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री, नागालैंड** का विचार था कि सहमति न होने पर, "नो डीटेंशन नीति" का निर्णय राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी भाषा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि आरएमएसए/एसएसए के दिशानिर्देश का पुन: अवलोकन किया जाना चाहिए क्योंकि यह राज्य में समस्याएं पैदा कर रहा है। उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षकों को प्रस्तावित नई शिक्षा नीति जानने पर भी बल दिया।

28. **डॉ. पंकज चंदे** ने सुझाव दिया कि प्रस्तावित नई नीति छात्र-केन्द्रित होनी चाहिए और छात्रों के लिए उचित दिशानिर्देश बनाए जाने चाहिए जो उन्हें अपने भविष्य की योजनाओं के निर्णय लेने में मदद कर सके। उन्होंने शिक्षकों को अपने ज्ञान को अद्यतन करने की आवश्यकता पर बल दिया।

29. **श्री नानुभाई वनानी, माननीय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री, गुजरात** ने शिक्षा और जीवन कौशल के बीच सह-संबध के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि खेल और शिक्षा को सदैव एक साथ चलना चाहिए और आगामी शिक्षा नीति भारत सरकार की मौजूदा योजनाओं/नीतियों के विरोधाभाषी नहीं होनी चाहिए।

30. **श्री कुमार विजय शाह, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश** ने कहा कि नैतिक और मूल्य आधारित शिक्षा वर्तमान समय की आवश्यकता है। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि संपूर्ण वर्ष अनिवार्य रूप से स्कूलों और राज्य सरकारी कार्यालयों में झण्डा फहराने से संबंधित दिशानिर्देश दिए जाने चाहिए। एनएसएस को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

31. **श्री वासुदेव देवनानी, माननीय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री, राजस्थान** ने स्कूलों के विलय, कर्मचारी पद्धति, प्राथमिक स्कूलों में विषय अध्यापकों की नियुक्ति, प्रत्येक ग्राम पंचायत में वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, योगा और ध्यान कक्षा कार्यक्रम, आनन्दित शिक्षण के लिए शाला दर्पण, ज्ञान पोर्टल, टॉय बैंक्स, डिजिटल और आईसीटी लैब, निजी स्कूलों के लिए शुल्क अधिनियम, इत्यादि के बारे में राज्य सरकार द्वारा किये गये कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने संस्कृत शिक्षा की पहले ही शुरूआत कर दी है। राज्य सरकार ने सभी बी एड विद्यार्थियों के लिए सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने सुझाव दिया कि आने वाली शिक्षा नीति में ईक्यू और एसक्यू को शामिल किया जाना चाहिए और एक पृथक शिक्षा आयोग स्थापित किया जाना चाहिए। आईसीटी, एसएसए और आरएमएसए जैसी योजनाओं की समीक्षा की जानी चाहिए। 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' का नाम बदलकर 'मानव निर्माण मंत्रालय' होना चाहिए।

32. **प्रोफेसर एम. के. श्रीधर** ने सुझाव दिया कि सरकारी स्कूलों की नामपद्धति को बदलकर निजी स्कूल किया जाना चाहिए और उन सभी सरकारी स्कूलों, जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी ब्रान्डिंग किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के फीडबैक लेने का कोई व्यवस्थित तंत्र

नहीं है, उन्होंने सुझाव दिया कि उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक संस्था की एक वार्षिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट प्रकाशित की जानी चाहिए।

33. **श्री प्रियांक कानूनगो, सदस्य एनसीपीसीआर** ने सुझाव दिया कि आरटीई अधिनियम की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का विस्तार शहीदों के बच्चों तक किया जाना चाहिए।

34. **श्रीमती इंदुमती** ने अखिल भारतीय अभियान के तहत सभी विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों में निशक्त बच्चों के लिए समवेशी शिक्षा, अभिगम्यता सुधार पर जोर दिया। उन्होंने महिला अध्ययन से जुड़े विषयों को भी उठाया और सुझाव दिया कि चूंकि पाठ्यक्रम में महिला अध्ययन पर कोई भारतीय दृष्टिकोण नहीं है, इसीलिए वंचित वर्ग से सुसंगत एक पृथक विषय की शुरूआत की जानी चाहिए।

35. **श्रीमती रोशन वारजी, माननीय उच्चतर और तकनीकी शिक्षा मंत्री, मेघालय** ने सुझाव दिया कि प्रारूप निविष्टियों (स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाये) में पैरा 1 से 4.2 में यथा उल्लिखित स्कूलों को मान्यता देने से पहले कोई भी पूर्व- अपेक्षित शर्त नहीं होनी चाहिए और अल्पसंख्यक संस्थानों के योगदान को नई नीति में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने त्रि भाषा (हिन्दी, अंग्रेजी और मातृभाषा) सूत्र की प्रशंसा की और सुझाव दिया कि बी.एड संबंधी इग्नू के दिशा निर्देशों की पुन समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने 5वीं कक्षा तक 'नो डिटेंशन पॉलिसी' की वकालत की और 10 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को अनिवार्य बनाने की बात कही।

36. **श्री कैलाश, माननीय प्रारंभिक शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश** ने अपने राज्य में स्कूलों में भोजन, फल और स्कूल बैग तथा स्कूल चलो अभियान, एक समान पढ़ाई जैसे प्रयासों को साझा किया और देश भर में एक समान शिक्षा का समर्थन किया साथ ही स्कूलों में स्वच्छता का प्रबंध करने का अनुरोध किया।

37. **श्री तनवीर सेठ, माननीय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री, कर्नाटक** ने एसएसए और आरएमएसए के अंतर्गत उपलब्धि स्तरों को बढ़ाने, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषयों के साथ-साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर देने और डिजाइन नवाचार को सुदृढ़ करने की बात कही। 10 वीं और 12 वीं की बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में उन्होंने कहा कि शिक्षक प्रिशक्षण, अध्ययन उपलब्धियों पर ध्यान केन्द्रित करने और अभिभावक शिक्षक संबंध इत्यादि का सामान्य एजेंडा होना चाहिए। उन्होंने सामान्य स्तर (अमीर गरीब के भेदभाव के बिना) की शिक्षा प्रणाली की बात कही और कहा कि आरटीई को राष्ट्र के लिए आस्ति निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। कनार्टक ने शिक्षकों की तैनाती को तर्काधारित बनाया है और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की तैनाती की है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा आनंदपूर्ण अध्ययन के लिए शुरू की गई 'नाली काली' प्रयास के बारे में बताया, साथ ही राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 3 तक के लिए 'सीखो और खेलों' कार्यक्रमों, अवकाश के दौरान कक्षा 9 से 12 वीं की कक्षाओं के लिए सुधारात्मक कोचिंग की व्यवस्था करने और इसका ग्रीष्मकालीन अवकाश तक विस्तार किये जाने की भी बात कही। उन्होंने यह भी बताया कि उनके राज्य ने मानसिक रूप से दिव्यांग और अक्षम छात्रों के लिए स्कूल खोले हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि आंगनवाड़ी के संबंध में गुणवत्ता को बनाया रखा जाना चाहिए और स्कूल पूर्व शिक्षा एवं बालिका शिक्षा के विचार का समर्थन करना चाहिए। फेल न करने की नीति के संबंध में, प्रणाली को सशक्त किये जाने की आवश्यकता है जिसमें आपस में दोषारोपण नहीं होना चाहिए और शिक्षकों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को संविदा आधार पर और कभी भी निकाले जाने की शर्त पर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम खंड 12 (3) पर विचार कर रहे हैं जिसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके

अतिरिक्त उन्होंने यह सूचित किया कि उनके राज्य में प्रति बच्चा व्यय पर प्रति व्यक्ति आय 15,000 रूपये है जिसका समर्थन किया जाना चाहिए।

38. **श्री कादियम श्रीहरि, माननीय उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, तेलंगाना** ने बालिका शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने यह कहा कि अभी तक बालिका शिक्षा के लिए कोई कार्यक्रम बनाया नहीं गया है। उनके नामांकन में सुधार के लिए अधिक आवासीय स्कूल खोले जाने चाहिए और बालिका शिक्षा में सुधार के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने "बालिका शिक्षा की समस्या से निपटने के लिए उपसमिति" गठित करने के बारे में बात की। उन्होंने यह कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को 12वीं कक्षा तक बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षण प्रविधियां सही नहीं हैं और शिक्षकों के शिक्षण कौशल में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रशिक्षु शिक्षकों की भी सिफारिश की। माननीय एचआरएम ने बालिका शिक्षा की समस्या से निपटने के लिए श्री के. श्रीहरि की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित करने का सुझाव दिया और घोषणा की।

39. **श्री लतीफ मगदुम** ने यह सुझाव दिया कि सभी मदरसों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में परिवर्तित कर देना चाहिए और इन मदरसों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए। उन्होंने अल्पसंख्यक के लिए अलग शिक्षा नीति और अल्पसंख्यक शिक्षा निदेशालय की स्थापना के लिए कहा। माननीय एचआरएम ने वर्गीकृत रूप से यह स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में छेड़छाड़ करने की कोई मंशा नहीं है।

40. **श्रीमती मंजू सिंह:** जीवन कौश्ल, मूल्यपरक शिक्षा और समग्र चरित्र निर्माण पर जोर दिया।

41. श्री बासवराज रायारेड्डी, माननीच उच्चतर शिक्षा मंत्री, कर्नाटक ने कहा कि भारत में भविष्य में कुशल जनशक्ति की कमी होगी, इसलिए कौशल को शिक्षा में एकाकार करने के लिए विशेष उपाय करने की जरूरत है। उन्होंने लड़कियों को 12वीं कक्षा तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का समर्थन किया और कहा कि उनमें से 75% का कॉलेज शिक्षा में प्रवेश होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए विशेष सहायता का अनुरोध किया। उन्होंने शिक्षकों के अनिवार्य सेवा-पूर्व प्रशिक्षण की इच्छा व्यक्त की। केन्द्र और राज्य सरकारी विश्वविद्यालयो को नि:शुल्क इंटरनेट कनेक्टिविटी/वाईफाई जैसी सुविधाएं मुहैया करानी चाहिएं। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी तंत्र होना चाहिए। उन्होंने अनुरोध किया कि एससी/एसटी के लिए और अधिक जेएनवी और केवी शुरू किए जाएं, विशेषकर पिछडे क्षेत्रों में। उन्होंने आईआईटी में प्रवेश के लिए 25% क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का अनुरोध किया। उन्होंने आईआईटी के शासी बोर्ड में प्रतिनिधित्व का भी अनुरोध किया। उन्होंने गुलबर्गा में एक आईआईएम और मैसूर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय का अनुरोध किया।

42. श्री एस. सी. लखोटिया, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने जोर दिया कि खराब परिणामों के लिए केवल अध्यापक को ही उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए। अध्यापकों और विद्यालयों की हालत में सुधार किया जाना चाहिए। उन्होंने 5वीं और 8वीं कक्षा पर रोक के तौर पर परीक्षाओं की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि अध्यापकों को शिक्षणेतर काम न दिया जाए ताकि उनका फोकस केवल शिक्षण पर रहे।

43. श्री दिलीप रजनेकर, सीईओ, आजिम प्रेमजी फाउंडेशन ने कहा कि शैक्षिक नीतियों का उपयुक्त कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा। शिक्षक शिक्षा संस्थाओं और डाईट को सुदृढ़ नहीं बनाया गया है और

विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में निवेश किया जाता है। इसके लिए संसाधनों, ठोस उपायों, पेशेवर सक्षमता और राजनैतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है।

44. श्रीमती अंजली देशपांडे, सचिव, द्रष्टि स्त्री अध्ययन ने उल्लेख किया कि उन विद्यालयों को प्रो.त्साहन दिया जाना चाहिए जो मातृभाषा में शिक्षण देते हैं और छात्रों के प्रदर्शन/अधिगम परिणामों को नो डिटेंशन पॉलिसी से जोड़ने के विचार का सुझाव दिया। यह अभिव्यक्त किया गया कि 5वीं और 8वीं में डिटेंशन विद्यालयों पर छोड देना चाहिए। यूजीसी अनुदान सभी शर्तों को पूरा करने के बाद ही प्रदान किए जाने चाहिएं ताकि वापसी के अनुरोधों से बचा जा सके। उन्होंने पहाडी क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों के लिए निधियों में बढोत्तरी करने का अनुरोध किया और अरूणाचल प्रदेश के एक विद्यालय में 300 छात्रों के लिए एक शिक्षक प्रदान करने का उदाहरण दिया।

45. डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय, माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, मा. सं. वि. मंत्रालय ने शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनकी गुणवत्ता में सुधार करने के मुद्दों को रेखांकित किया और सुझाव दिया कि श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने ''प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड'' का उल्लेख दिया जो कौशल शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय भाषा की महत्ता रेखांकित की और कहा कि इससे समझौता नहीं किया जा सकता और इसे महत्व दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सर्वेक्षण कार्य, चुनाव ड्यूटी आदि से संबंधित कार्यक्रमों में बेरोजगार युवाओं को तैनात करने के लिए राज्य और केन्द्र को मिलकर काम करना चाहिए। देशभक्ति और राष्ट्रवाद के विचार को बढावा देने के लिए छात्रों को सैन्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि लड़कियों की शिक्षा और मूल्यपरक शिक्षा को उचित महत्व दिया जाए।

46. श्री उपेन्द्र कुशवाहा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एसई) के लिए माननीय राज्य मंत्री ने विद्यालयों में शौचालयों के उपयुक्त काम करने और साथ ही शिक्षकों की गुणवत्ता के ह्रास संबंधी समस्याओं को रेखांकित किया। उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षा भवन निर्मित किया जाना चाहिए; शिक्षकों की भर्ती प्रणाली अधिक पारदर्शी होनी चाहिए और अनुबंध पर शिक्षकों के वेतन पुन: विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर भी जोर दिया।

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने सभी शिक्षा मंत्रियों, सीएबीई सदस्य और राज्यों से अन्य प्रतिनिधियों का धन्यवाद किया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भारत सरकार/राज्यों के मंत्रालयों की अच्छी कार्यप्रणाली पर फिल्में बनाई जानी चाहिएं। निम्नलिखित संकल्प अपनाए गए थे:-

क) अप्रशिक्षित शिक्षकों और नो डिटेंशन पॉलिसी के विशिष्ट संदर्भ में शिक्षा के अधिकार पर चर्चा की गई। यह चिंता का विषय था कि अधिगम के परिणामों का ह्रास हो रहा है। अत:

(i) इस पर भी सहमति बनी कि अधिगम के परिणामों को कोडित किया जाना चाहिए और इसे शिक्षा का अधिकार नियमावली का भाग बनाया जाए।

(ii) इस पर भी सहमति बनी कि अधिगम के परिणामों में सुधार करने के लिए सभी हितधारक उत्तरदायी बनाए जाएं।

(iii) केन्द्रीय सरकार नो डिटेंशन प्रावधान में उपयुक्त संशोधन करें और इसका निर्णय राज्यों पर छोड दें।

(iv) अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के समापन की अंतिम सीमा को 5 वर्ष और बढाया जाना चाहिए और प्रशिक्षण अगले 2 वर्ष के भीतर पूरा होना चाहिए।

(v) उपयोगिता प्रमाणपत्रों में प्रभाव आकलन संबंधी एक कॉलम जोडा जाना चाहिए।

(ख) श्री कादियम श्रीहरि, उप मुख्यमंत्री और तेलंगाना के शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में लडकियों की शिक्षा के मुद्दों पर विचार करने के लिए सीएबीई की एक उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया था।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

*****

संलग्नक- I

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 25 अक्टूबर, 2016 को हुई केब की 64वीं बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची

1. श्री प्रकाश जावड़ेकर, मानव संसाधन विकास मंत्री - अध्यक्ष
2. श्री विजय गोयल, युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री
3. श्री राजीव प्रताप रूडी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री
4. श्री उपेंद्र कुशवाहा, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री
5. श्री महेंद्र नाथ पाण्डेय, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री
6. श्री अमिताभ कांत, सीईओ, नीति आयोग
7. श्री विनय शील ओबराय, सचिव, उच्चतर शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
8. श्री गांटा श्रीनिवास राव, शिक्षा मंत्री, आंध्र प्रदेश
9. डॉ हिमंत बिस्वा सरमा, शिक्षा मंत्री, असम सरकार
10. श्री अशोक चौधरी, शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार
11. श्री प्रेम प्रकाश पांडे, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार
12. श्री केदार कश्यप, शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार
13. श्री मनीष सिसोदिया, शिक्षा मंत्री, दिल्ली सरकार
14. श्री नानूभाई वनानी, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री, गुजरात सरकार
15. डॉ नीरा यादव, उच्चतर, स्कूल एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, झारखंड सरकार
16. श्री तनवीर सैत, शिक्षा मंत्री, कर्नाटक सरकार
17. श्री बासवराज रायरेड्डी, उच्चतर शिक्षा मंत्री, कर्नाटक सरकार
18. प्रो. सी रविंद्रनाथ, शिक्षा मंत्री, केरल सरकार
19. श्री जयभान सिंह पवैया, उच्चतर शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार
20. श्री कुंवर विजय शाह, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार
21. डॉ के.एच. रतन कुमार, शिक्षा और परिवहन मंत्री, मणिपुर सरकार
22. श्री रोशन वारजरी, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, मेघालय सरकार
23. श्री एच रोहलूना, स्कूल शिक्षा मंत्री, मिजोरम सरकार
24. श्री यिताचू, स्कूल शिक्षा मंत्री, नागालैंड सरकार
25. डॉ प्रदीप कुमार पाणिगृही, उच्चतर शिक्षा मंत्री, ओडिशा सरकार
26. श्री आर कमलाकानन, शिक्षा मंत्री, पुडुचेरी सरकार
27. डॉ डी.एस. चीमा, शिक्षा मंत्री, पंजाब सरकार
28. श्री काली चरण सर्राफ, उच्चतर शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार
29. श्री वासुदेव देवनानी, शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान सरकार
30 श्री आर. बी. सुब्बा, शिक्षा मंत्री, सिक्किम सरकार

31. श्री थीरू के. पांडियाराजन, स्कूल शिक्षा मंत्री, तमिलनाडु सरकार
32. श्री के.पी. अनुबालगन, उच्चतर शिक्षा मंत्री, तमिलनाडु सरकार
33. श्री कादियम श्रीहरि, उप मुख्यमंत्री, तेलंगाना सरकार
34. श्री एमपी नैथानी, शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार
35. श्री बलराम यादव, माध्यमिक शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार
36. श्री कैलाश चौरसिया, शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार
37. श्री जितेंद्र कुमार, प्रधान सचिव, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग।
38. सुश्री मोनिका एस हंग, प्रधान सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
39. श्री रंजीव आर आचार्य, विशेष मुख्य सचिव, शिक्षा, तेलंगाना सरकार
40. श्री ए कार्तिक, सचिव, उच्चतर शिक्षा, तमिलनाडु सरकार
41. श्री डी सविता, प्रधान सचिव स्कूल शिक्षा, तमिलनाडु सरकार
42. श्री सी.सी.एम. मिहसिल, सचिव, शिक्षा, मेघालय सरकार
43. श्री एफ.पी. सोलो, आयुक्त एवं सचिव, स्कूल शिक्षा, नागालैंड
44. श्री अजय कुमार सिंह, सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार।
45. श्री शालीन काबरा, आयुक्त एवं सचिव, स्कूल शिक्षा, जम्मू और कश्मीर
46. डॉ महावीर सिंह, प्रधान सचिव, उच्चतर शिक्षा, हरियाणा के
47. श्री ए.आर. राहुल नाथ, उप सचिव, तमिलनाडु सरकार
48. श्री नंद कुमार, प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा, महाराष्ट्र सरकार।
49. श्री जितेंद्र श्रीवास्तव, सचिव शिक्षा, बिहार सरकार
50. डॉ राकेश कुमार, सचिव शिक्षा, हिमाचल प्रदेश सरकार
51. सुश्री संध्या रानी कन्नेगाटी, आयुक्त, स्कूल शिक्षा, आंध्र प्रदेश सरकार
52. श्री अजय सेठ, प्रधान सचिव, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, कर्नाटक
53. श्री नरेश पाल गंगुआर, सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार
54. श्री एनजी. बोसेन्द्र, उप सचिव (शिक्षा), मणिपुर सरकार
55. श्री कुलदीप सिंह ठाकुर, उप आवासी आयुक्त, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
56. श्री जे.के. गुधरी, आयुक्त, स्कूल शिक्षा, शिक्षा विभाग, गुजरात
57. श्री जी.पी. उपाध्याय, प्रधान सचिव, सिक्किम सरकार
58. श्री रेणु जी पिल्लै, प्रधान सचिव, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़ सरकार
59. श्री विकास शील, सचिव शिक्षा, छत्तीसगढ़ सरकार
60. श्री के.सी. देवसेनापति, आयुक्त, उच्चतर शिक्षा, छत्तीसगढ़ सरकार
61. श्री आर. सी. जैन, सचिव शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक), असम सरकार
62. श्री आदित्य एन दास, प्रधान सचिव, शिक्षा, आंध्र प्रदेश सरकार
63. श्री एम. लक्ष्मीकुमार सिंह, आयुक्त, स्कूल शिक्षा, स्कूल मणिपुर
64. श्री जी.वी.वी. सरमा, प्रधान सचिव, उच्चतर शिक्षा, ओडिशा
65. सुश्री रंजना चोपड़ा, सचिव, स्कूल और जन शिक्षा
66. सुश्री दीप्ति मुखर्जी, सचिव, स्कूल शिक्षा, मध्य प्रदेश
67. श्री आशीष उपाध्याय, प्रधान सचिव, उच्चतर शिक्षा, मध्य प्रदेश सरकार।
68. श्री जी वज्रलिंगम, अपर मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, पंजाब सरकार
69. डॉ रोशन सनकारिया, प्रधान, सचिव, उच्चतर शिक्षा, पंजाब सरकार

70. श्री संजय दीक्षित, प्रधान, सचिव, शिक्षा, राजस्थान सरकार
71. श्री के. जी. भट्ट, विशेष सचिव सामान्य शिक्षा, केरल सरकार
72. श्री बी. श्रीनिवास, प्रधान, सचिव, उच्चतर शिक्षा, केरल सरकार
73. श्री प्रवीण श्रीवास्तव, मुख्य आवासी आयुक्त, त्रिपुरा सरकार
74. श्री अरूमुगम, उपायुक्त, एनवीएस
75. श्री संतोष के. मॉल, आयुक्त, केवीएस
76. प्रो. वेद प्रकाश, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
77. श्री आर. के. चतुर्वेदी, अध्यक्ष, सीबीएसई
78. श्री अनिल सहस्रबुदे, अध्यक्ष, एआईसीटीई
79. प्रो. जे.बी.जी. तिलक, कुलपति, न्यूपा
80. प्रो.. हृषिकेष सेनापति, निदेशक, एनसीईआरटी
81. श्री संजय अवस्थी, सदस्य सचिव, एनसीटीई
82. श्री जसपाल संधू, सचिव, यूजीसी
83. प्रो. सी.बी. शर्मा, अध्यक्ष, एनआईओएस
84. डॉ जोसेफ एम्मानुएल, सचिव, सीबीएसई
85. प्रो.. आर श्रीनिवासन, प्रभारी निदेशक, आईआईएम बैंगलोर
86. श्री एस.आर. भट्ट, अध्यक्ष, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद
87. प्रो. फुरकान कमर, महासचिव, एआईयू
88. प्रो. चंद्रकला पडिया, अध्यक्ष, भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला
89. प्रो. वाई सुदर्शन राव, अध्यक्ष, आईसीएचआर
90. प्रो. एस के थोराट, अध्यक्ष, आईसीएसएसआर
91. श्री बिस्वरजन नायक, अध्यक्ष, वास्तुकला परिषद
92. मेजर जनरल, एस भट्टाचार्य (सेवानिवृत्त), सचिव एवं महानिदेशक, अभियंता संस्थान
93. श्री एच आर पी यादव, निदेशक, आईईआई
94. श्री एम. के. श्रीधर, प्रोफेसर, केनरा बैंक प्रबंधन अध्ययन स्कूल (सीबीएमएमएस), बंगलौर विश्वविद्यालय
95. श्री डी.एन. बेजबोरूआ, सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी, आरसीई और पूर्व संपादक दी सेंटीनेल
96. श्री लतीफ मैगडम, सदस्य केब, सचिव, एम.सी.ई. सोसायटी, पुणे
97. डॉ नाहिद आबिदी, सदस्य केब और सदस्य एन.सी.एम. ई., केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
98. डॉ पंकज चंडे, सदस्य केब
99. सुश्री मंजू सिंह, सदस्य केब, संस्थापक, वर्ल्ड किड्स
100. श्री दिलीप रनजेकर, सदस्य केब, सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन
101. श्री मनीष सभरवाल, सदस्य केब, टीमलीज सर्विसेज
102. सुश्री इंदुमती राव, सदस्य केब, सीबीआर नेटवर्क, राष्ट्रीय बाल भवन
103. सुश्री अंजलि देशपांडे, सचिव, दृष्टि स्त्री अध्ययन
104. श्री एच.सी.सी बेरी, अध्यक्ष, आई.ई.आई., इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया)
105. श्री जे.एल. कौल, कुलपति, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, उत्तराखंड
106. सुश्री रेखा मेनन, लीड शिक्षा, एनएसडीसी
107. श्री एस.ए. बारी, कुलपति, गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
108. श्री एस.सी. लखोटिया, उपाध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी

109. श्री अखिलेश के. त्यागी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी
110. स्वामी आत्मप्रियनंदा, कुलपति, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल
111. श्री प्रियंक कानूनगो, सदस्य केब, एनसीपीसीआर
112. श्री आर सुब्रमण्यम, अपर सचिव, टीई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
113. सुश्री रीना रे, अपर सचिव, एसई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
114. डॉ सतबीर बेदी, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
115. डॉ एसएस संधू, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
116. सुश्री इशिता रॉय, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
117. सुश्री दर्शना एम डबराल, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
118. श्री प्रवीण कुमार, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
119. श्री मनीष गर्ग, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
120. श्री बी.एन. तिवारी, उप महानिदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
121. श्री वाई शेषु कुमार, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
122. डॉ एन.के. साहू, आर्थिक सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
123. सुश्री अलका तिवारी, सलाहकार (एचआरडी), नीति आयोग
124. सुश्री पुण्य श्रीवास्तव, सचिव उच्चतर शिक्षा एवं स्कूल, दिल्ली
125. श्री संजीव मित्तल, संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय
126. श्री मनोज श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (एसीएडी), सीबीएसई
127. श्री ओंकार केडिया, संयुक्त सचिव (खेल), खेल विभाग।
128. श्री मोहनदासन पी., निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार
129. श्री गिरीश होसुर, निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार
130. सुश्री एन.एफ. हुसैन, निदेशक, आरएमएसए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार
131. सुश्री मीनाक्षी जॉली, निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार
132. श्री आर. डी. मीणा, सलाहकार एवं ओएसडी, पश्चिम बंगाल
133. श्री ए. चा. मराक, निदेशक एसई और एल, एसपीडी, सर्व शिक्षा अभियान व आरएमएसए, मेघालय सरकार
134. श्री हेशमाईच जंगराय, मानीटरिंग अधिकारी, एनईपी, मेघालय, डीएचटीई- मेघालय।
135. श्री के. लालथाम्माविया, निदेशक, स्कूल शिक्षा, मिजोरम
136. श्री जी एस प्रियदर्शी, एसपीडी, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश
137. डॉ सर्वेन्द्र विक्रम सिंह, निदेशक, एससीईआरटी, उत्तर प्रदेश
138. डॉ जे कृष्णा राजू, एसपीडी, सर्व शिक्षा अभियान, पुडुचेरी
139. श्री रविन्द्र नागर, निदेशक, एमएनआईटी, एमएनआईटी
140. श्री वीरेंद्र सिंह सहरावत, अपर निदेशक, स्कूल शिक्षा, हरियाणा सरकार
141. डॉ शिखा आनंद, निदेशक, रोजगार, श्रम और रोजगार मंत्रालय
142. श्री नवीन अग्रवाल, महानिदेशक, नाडा और निदेशक, एनएसएस, युवा मामले एवं खेल
143. डॉ एस. ए. कोरी, कार्यकारी निदेशक, कर्नाटक राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद
144. श्री डी.के. भावसर, उप. शिक्षा सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

145. डॉ मनोज सिंह रोहिल्ला, वैज्ञानिक 'डी', जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
146. डॉ ए मिश्रा, अध्यक्ष, भारत, ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन, दिल्ली
147. श्री सुबोध कुमार, वैज्ञानिक, भारतीय ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन, दिल्ली
148. श्री वी.एस. रावत, अपर निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, उत्तराखंड सरकार
149. श्री जी.डी. रातूरी, ओएसडी, शिक्षा, उत्तराखंड सरकार
150. श्री अजय एन.एम.एन., सी एम आर, सीई, कर्नाटक सरकार
151. श्री पी सी जाफर, एसपीडी एसएसएसए, कर्नाटक सरकार
152. श्री रूबिन्दरजीत एस बराड़, निदेशक, स्कूल शिक्षा, चंडीगढ सरकार
153. श्री वाईएलएन रेड्डी, निदेशक, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा, पुडुचेरी
154. श्री अभय झा, शिक्षा मंत्री के निजी सचिव, बिहार सरकार
155. डॉ राहुल ए. टिड़के, सहायक निदेशक, पीआईबी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
156. श्री चक्रवर्ती च., पीआरओ, तेलंगाना सरकार
157. श्री सुनील अग्रवाल, एपीएस, राज्य शिक्षा मंत्री, राजस्थान
158. श्री सत्येंद्र सिंह, एडी, आरसीईई, जयपुर
159. श्री एस. एन. यादव, अनुसंधान अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, जयपुर
160. श्री के.ए. मणिराम, शिक्षा मंत्री के एपीएस, केरल सरकार
161. डॉ सिधेश वाडकर, एसपीसी, महाराष्ट्र सरकार
162. श्री घनश्याम चंद, एसपीडी, एसएसए/ आरएमएसए, हिमाचल प्रदेश सरकार
163. डॉ पी.एस. पांडे, एडीजी, डीएआरई, भारत सरकार
164. डॉ बी.एल. वियूटा, संयुक्त निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश सरकार।
165. श्री दीपक कुमार, प्रशासनिक अधिकारी, वास्तुकला परिषद
166. डॉ सुनीता एस कौशिक, अपर निदेशक, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली
167. श्री बी.एल. स्वर्णकर, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार
168. सुश्री अरुणा राजोरिया, एमडी, सर्व शिक्षा अभियान, असम सरकार
169. डॉ शकिला टी. शाससू, ओएसडी (एनईपी), मानव संसाधन विकास मंत्रालय
170 सुश्री पद्मजा सक्सेना, उप सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
171. श्री एम. के. पांडे, अवर सचिव (पीएन.II), मानव संसाधन विकास मंत्रालय
172. श्री पंकज कुमार, राज्य मंत्री (एचआरडी) के एपीएस, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
173. श्री प्रमोद कुमार सुमन, मीडिया सलाहकार, राज्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
174. श्री एस. सत्यनारायण, मानव संसाधन विकास मंत्री के मीडिया सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
175. डॉ मोनिका प्रियदर्शिनी, सहायक सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
176. सुश्री सरिता यादव, सहायक सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
177. सुश्री प्रेरणा शर्मा, सहायक सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
178. श्री आलोक जवाहर, अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
179. सुश्री नीमा अरोड़ा, सहायक सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग।
180. सुश्री ईशा दुहान, सहायक सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
181. डॉ सतपाल सिंह साहनी, सहायक निदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग।
182. सुश्री सुनिशा आहूजा, मुख्य सलाहकार, टीएसजी-सर्व शिक्षा अभियान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
183. श्री ओंकार मराठे, डीडीई, शिक्षा, जीएनसीटीडी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

184. श्री साकेत जोग, सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
185. सुश्री निहारिका खट्टर, सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
186. श्री परेश शाह, तकनीकी विशेषज्ञ, शिक्षा, एनसीपीसीआर
187. श्री ओ. अमितकांता सिंह, सिस्टम विश्लेषक, सर्व शिक्षा अभियान
188 श्री संदीप जयदा, सीईओ, मणिपुर सरकार
189 श्री भानू हरिताश, सामाजिक मीडिया टीम, दिल्ली
190. श्री निखिल कुमार, डीईओ, एनसीपीसीआर